

विषय: निष्प्रोज्य सामान, उपकरण, आदि की नीलामी सूचना

नीलामी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ और विवरण

- नीलामी का आधार: नीलामी "जो है जहाँ है" के आधार पर मुहरबंद लिफाफे निविदाओं द्वारा की जाएगी।
- नीलामी की वस्तुएं: केंद्रीय भंडार में उपलब्ध निष्प्रोज्य सामग्री एवं अनसर्विसेबल सामान, जैसे कुर्सी, यू.पी.एस., अलमीरा, कूलर, बेलेन्स मशीन, टेबल, एअर कन्डीशनर, बिजली के सामान, फर्नीचर, लैब इक्विपमेंट, मशीनरी एवं टूल्स, आयरन स्क्रैप, प्लास्टिक का सामान, इलेक्ट्रिक सामान, एल्युमिनियम का सामान, लकड़ी का सामान, इत्यादि।
- मुहर बंद निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 11.11.2025 को 01:00 अपरान्ह तक।
- वस्तुओं के अवलोकन का समय: दिनांक 3.11.2025 से 10.11.2025 तक, प्रातः 09:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्रभारी, केंद्रीय भंडार से संपर्क किया जा सकता है। (कार्य दिवस एवं कार्यालय समय के दौरान)
- नीलामी सूचना, बोली प्रारूप, नियम व शर्तें एवं शुद्धिपत्र इत्यादि संस्थान की वेबसाइट www.cirg.res.in पर देखी जा सकती है।

विषय: निष्प्रोज्य सामान, उपकरण, आदि की नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

नीलामी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ और विवरण

- नीलामी का आधार: नीलामी "जो है जहाँ है" के आधार पर मुहरबंद लिफाफे निविदाओं द्वारा की जाएगी।
- नीलामी की वस्तुएं: केंद्रीय भंडार में उपलब्ध निष्प्रोज्य सामग्री एवं अनसर्विसेबल सामान, जैसे कुर्सी, यू.पी.एस., अलमीरा, कूलर, बेलेन्स मशीन, टेबल, एअर कन्डीशनर, बिजली के सामान, फर्नीचर, लैब इक्विपमेंट, मशीनरी एवं टूल्स, आयरन स्क्रैप, प्लास्टिक का सामान, इलेक्ट्रिक सामान, एल्युमिनियम का सामान, लकड़ी का सामान, इत्यादि।
- मुहर बंद निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 11.11.2025 को 01:00 अपरान्ह तक।
- वस्तुओं के अवलोकन का समय: दिनांक 3.11.2025 से 10.11.2025 तक, प्रातः 09:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्रभारी, केंद्रीय भंडार से संपर्क किया जा सकता है। (कार्य दिवस एवं कार्यालय समय के दौरान)

नीलामी के नियम एवं शर्तें

- धरोहर राशि (EMD): बोलीदाता को नीलामी में हिस्सा लेने से पूर्व सभी लॉटों के लिए एकमुश्त रु. 25,000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।
- DD किसके पक्ष में देय: डिमांड ड्राफ्ट आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.आई.आर.जी., के पक्ष में, जो कि पंजाब नेशनल बैंक फरह पर देय हो, बनवाकर देना होगा।
- भुगतान: सफल निविदादाता को नीलामी की पूर्ण राशि का न्यूनतम एक तिहाई राशि जी.एस.टी. सहित नीलामी प्रक्रिया समाप्ति के बाद तुरंत कार्यालय में जमा करानी होगी।
- शेष राशि का भुगतान: शेष राशि एक सप्ताह के अंदर या ऑनलाइन भुगतान डलने तक व ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
- सामान हटाने की समय-सीमा: खरीदे गए लॉट की कुल राशि जी.एस.टी. के साथ जमा करने की तिथि से सात दिन के अंदर सामान सफल निविदादाता को अपने खर्च पर संस्थान से उठाकर ले जाना अनिवार्य होगा। (कार्य दिवस एवं कार्यालय समय के दौरान)
- विलंब शुल्क (भंडारण शुल्क): यदि सामान दस दिन के अंदर नहीं उठाया जाता है, तो प्रतिदिन रु. 1,000.00 (रुपया एक हजार मात्र) + 5% जी.एस.टी. की दर से भंडारण शुल्क जमा करना होगा। भंडारण की अवधि अधिकतम दस दिन रहेगी।
- सामान उठाना: खरीददार को पूरा सामान एक बार में ही उठाना होगा और नीलामी स्थान पर कोई भी अवशेष नहीं छोड़ेगा।
- सामान हटाने का समय: सामान सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही ले जाना होगा।
- दस्तावेज: निविदादाता को नीलामी निविदा के साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- हस्तांतरण: खरीददार संस्थान के अंदर लॉट अन्य व्यक्ति या फर्म के नाम हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
- सुरक्षा एवं निकासी: खरीदे गए लॉट को संस्थान से बाहर प्रभारी केंद्रीय भंडार तथा सुरक्षा एवं बचाव अधिकारी की अनुमति से ही ले जाया जा सकता है। गेटपास केवल कार्यालय समय में ही जारी होगा।
- क्षतिपूर्ति: मशीनों/उपकरणों को खोलने, उठाने आदि का खर्च खरीददार को स्वयं वहन करना होगा। संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या गंदा होने पर उसे उसका हर्जाना चुकाना होगा।
- दुर्घटना: किसी भी दुर्घटना के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
- मजदूरों की सूची: खरीदे गए लॉट को ले जाने के लिए मजदूरों की संपूर्ण सूची सुरक्षा अनुभाग को पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।
- निदेशक के अधिकार: निदेशक को बिना कारण बताए किसी भी बोली को पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
- विवाद निपटान: नीलामी के दौरान यदि कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा मथुरा जनपद द्वारा ही निपटारा जाएगा।